पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 ई0 (आश्विन 28, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–42

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	539–572	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1043–1052	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	239–243	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

कार्यभार प्रमाणक

18 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 388/नि0स0/अ0मु0स0,मा0 मुख्यमंत्री/2018–सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के प0सं0–871/XXXI(4)/18/06 (विविध)/2015, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के क्रम में, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निजी सचिव के पद पर पदोन्नत वेतनमान ₹ 56100–177500 (लेवल–10) में आज दिनांक 17 जुलाई, 2018 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी

कपिल कुमार चौहान

प्रतिहस्ताक्षरित

ओम प्रकाश

अपर मुख्य सचिव

मा0 मुख्यमंत्री,

उत्तराखण्ड शासन।

तकनीकी शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

01 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 671/XLI-1/2018–87/2017–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा पत्र संख्या 102/04/डी0आर0/सेवा–2/2015–16, दिनांक 13–09–2017 द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, विद्युत के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति उपलब्ध करायी गयी थी। चयन सूची के क्रमांक–14 पर अनुक्रमांक 410379 श्री मोहन दास श्रेणी–अनुसूचित जाति की संस्तुति प्राप्त हुई, जिसके क्रम में शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 2283/XLI–1/18–87/17 दिनांक 29–12–2017 द्वारा 19 अभ्यर्थियों के साथ श्री मोहन दास को राजकीय पॉलिटेक्निक, गैरसैंण, चमोली में तैनाती स्थल निर्धारित करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया।

उक्त नियुक्ति पत्र दिनांक 29–12–2017 के प्रस्तर–2 में निर्धारित शर्त के अनुसार श्री मोहन दास द्वारा प्रवक्ता, विद्युत के पद पर सम्बन्धित संस्थान में निर्धारित अवधि एक माह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर पौड़ी के पत्रांक 1675/नि0प्रा0शि0/स्था0नियु0/2017–18 दिनांक 18–01–2018 द्वारा नवनियुक्त प्रावक्ताओं के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही में समय लगने के दृष्टिगत समयावधि को विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव के क्रम में कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2607/XXX(II)/2005 दिनांक 26–08–2005 में की गयी व्यवस्थानुसार शासनादेश संख्या 207/XLI–1/18–87/17, दिनांक 08–02–2018 द्वारा नियुक्ति पत्र दिनांक 29–12–2017 में योगदान दिये जाने हेतु प्रदान किये गये एक माह के समय को विशेष परिस्थितियों में एक माह के लिये विस्तारित किया गया। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर पौड़ी के पत्रांक 772/नि0प्रा0शि0/स्था0नियु0–08(2018)/2018–19, दिनांक 01–05–2018 द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार श्री मोहन दास द्वारा प्रवक्ता, विद्युत के पद पर सम्बन्धित संस्थान में विस्तारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर पौड़ी के पत्रांक 1429/नि0प्रा0शि0/राज–दो–201/2018–19 दिनांक 18–06–2018 द्वारा श्री मोहन दास के प्रार्थना पत्र, जिसमें उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु पुनः समय विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया है, के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त अनुरोध कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2607/XXX(II)/2005, दिनांक 26–08–2005 में की गयी व्यवस्थाओं से आच्छादित नहीं होता है। अतएव श्री मोहन दास द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक, गैरसैंण, चमोली में प्रवक्ता, विद्युत के पद पर विस्तारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने के कारण श्री मोहन दास का प्रवक्ता, विद्युत के पद पर अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,

अपर मुख्य सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

13 जून, 2018 ई0

संख्या 1046/II(1)/2018–01(42)(430)/2012–नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल–13 ₹ 123100–215900 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. श्री प्रशांत बिश्नोई
2. श्री शरद श्रीवास्तव
3. श्री अजय कुमार
4. श्री मनोज कुमार सिंह
5. श्री संजय कुमार पाठक

2– उक्त नवप्रोन्नत अधीक्षण अभियन्ताओं को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

3–उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–22/एस0बी0/2016, सुभाष चन्द्र बनाम राज्य तथा मा0 लोक सेवा अभिकरण, नैनीताल में योजित निर्देश याचिका सं0 15/एन0बी0/डी0बी0/2017 श्री सुनील कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन रहेंगे।

4– इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति

05 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 1027/VII-1/2018/46 ख/17–खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–23(1) के प्रावधानानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के रिक्त क्षेत्र को विज्ञापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	नदी	खसरा सं0	तहसील	क्षेत्रफल	उपखनिज की संभावित मात्रा	उपखनिज का प्रकार	अभ्युक्ति
1.	दभौरा एहतमाली	कोसी नदी	354/6, 355/1, 357/2, 359/3	काशीपुर	1.403 है0	46299 टन	आर0बी0एम0	राजस्व क्षेत्र

2–उक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्र से उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार (संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय–ज्ञाप

06 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 1315/VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013–उत्तराखण्ड राज्य में सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन के क्षेत्र में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावनाओं को देखते हुए पर्यटन को विधिवत् उद्योग का स्तर तथा राज्य के कर राजस्व में अभिवृद्धि करने के दृष्टिगत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 184/VII-2/15–146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक 31–01–2015, कार्यालय ज्ञाप संख्या–544/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक 22–03–2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 848/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013, 22–04–2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015" तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1313/VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक 06 जुलाई, 2018 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का सम्पूर्ण लाभ पर्यटन क्षेत्र के उद्योगों को अनुमन्य होगा।

इसकी अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् पर्यटन उद्योग के रूप में गतिविधियों/क्रियाकलापों के अभिज्ञापन हेतु पर्यटन विभाग राज्य की आवश्यकताओं तथा वर्तमान परिवेश के अनुरूप गतिविधियाँ/क्रियाकलापों का चिन्हीकरण कर विधिवत इसकी अधिसूचना जारी करेगा, ताकि पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचित पर्यटन गतिविधियों/क्रियाकलापों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/नीतियों में सेवा क्षेत्र के उद्यमों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य हो सके।

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

11 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 899/XX–7/2018–01(40)2014–श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड पुलिस (असाधारण पेंशन) (संशोधन) नियमावली,2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस (असाधारण पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 में, (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के खण्ड(ड़) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ड़) " पुलिस कर्मचारी" का तात्पर्य पुलिस एक्ट, 1861 की धारा (2) के अधीन संघटित पुलिस बल के सदस्य और 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं0–40, सन्–1948 ई0) के सदस्य से है।	**(ड़) " पुलिस कर्मचारी" का तात्पर्य उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा– 3 के अधीन संघटित पुलिस बल के सदस्य और उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2016 की धारा–3 के अधीन संगठित अग्निशमन सेवा बल के सदस्य से है।**

नियम–3 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3– यह नियमावली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले स्थायी या अस्थायी रूप से सेवायोजित सभी पुलिस	

अधिकारियों और कर्मचारियों (राजपत्रित/अराजपत्रित दोनों) पर लागू होगी जो डाकुओं या सशस्त्र अपराधियों या विदेशी प्रतिरोधियों से लड़ने में या किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के दौरान मारे जाय या जिनकी मृत्यु हो जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पुलिस कर्मचारी के परिवार को जिसे इस नियमावली के अधीन अभिनिर्णय दिया गया हो, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया जायेगा और न यू.पी. लिबर लाइज्ड पेंशन रूल्स, 1961 अथवा यू.पी. रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स, 1961 के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक और न यू.पी. कन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फण्ड के अधीन सरकारी अंशदान दिया जायेगा।

3– यह नियमावली राज्यपाल के बनाये नियम से नियंत्रित होने वाले उत्तराखण्ड के सभी राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस, पी.ए.सी तथा अग्निशमन सेवा कार्मिकों पर लागू होगी चाहे वे स्थायी या अस्थायी रूप में नियोजित किये गये हो, जिनकी मृत्यु कर्तव्य के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन हुई हो:–

(क)डाकुओं/अपराधियों/विदेशी शत्रु/उग्रवादियों /आतंकवादियों/नक्सलियों आदि के आक्रमण/ लड़ाई के कारण मृत्यु

(ख) हिसांत्मक/आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करते हुए मृत्यु होने पर।

(ग) महत्वपूर्ण प्रशिक्षण/प्रदर्शन से गुजरने के दौरान दुर्घटना से मृत्यु

(घ)प्राकृतिक/दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़/ भूकम्प / भूस्खलन/बर्फीले तूफान के दौरान जनमानस की रक्षा/बचाव करते हुए मृत्यु होने पर

(ड़) किसी भी क्षेत्र में आग बुझाने में जनमानस की रक्षा/बचाव करते हुए मृत्यु होने पर

(च) कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आक्रमण के कारण मृत्यु होने और

(छ) कैदी अनुरक्षा के दौरान आक्रमण के कारण मृत्यु पर।

नियम–6 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6– अभिनिर्णय की धनराशि इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस कर्मचारी की विधवा को स्वीकृत की जायेगी, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा उसकी मृत्यु हो जाय अथवा वह पुनर्विवाह कर ले तो अवयस्क बच्चे ऐसी घटना के दिनांक से	6– कोई अभिनिर्णय इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये उपबन्धों के अनुसार ऐसे पुलिस पी.ए.सी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की विधवा/विधुर/आश्रित को स्वीकृत किया जायेगा, जिन पर यह नियमावली लागू होती हो। यदि मृत पुलिस कर्मचारी पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी का/की पत्नी/पति जीवित न हो अथवा मृत्यु हो जाय अथवा पुनर्विवाह कर ले तो, ऐसी घटना की दशा में आश्रित अवयस्क बच्चे ऐसी पूरी पेंशन पाने के हकदार होगें, जो विधवा/विधुर को अनुमन्य होती और इसे उत्तराखण्ड प्रदेश

ऐसी पुरी पेंशन पाने के हकदार होगें, जो विधवा को अनुमन्य होती और यह उनमें बराबर–बराबर बाट दी जायेगी। यदि मृत पुलिस कर्मचारी की पत्नी जीवित न रहे अथवा यदि जीवित हो किन्तु उसे आनुतोषितक का भुगतान उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह से पहले न किया गया हो तो आनुतोषिक जो विधवा को अनुमन्य होता उन बच्चों में बराबर बांट दिया जायेगा, जो पेंशन के हकदार हों।

टिप्पणीः– यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा–निर्देश के अनुसार वितरित किया जायेगा।

टिप्पणीः– यदि पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन अनुमन्य अभिनिर्णय की धनराशि समस्त विधवाओं में बराबर–बराबर बांट दी जायेगी।

नियम–8 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(1)– पारिवारिक पेंशन, पुलिस कर्मचारी के मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जो राज्यपाल निश्चित करें।	8(1)– पारिवारिक पेंशन, पुलिस कर्मचारी पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी की मृत्यु के अगले दिन से अथवा ऐसे अन्य दिनांक से प्रभावी होगी जो राज्यपाल निश्चित करें।
8(2)– पारिवारिक पेंशन साधारणतयाः– (1) विधवा अथवा माता अथवा विधवा दादी की दशा में उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक इसमें जो भी पहले हो, (2) अवयस्क पुत्र या अवयस्क आश्रित भाई की दशा में उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा उसकी मृत्यु हो जाने तक, इसमें जो भी पहले हो,	(2) संबंधित पुलिस कर्मचारी, पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रित की पारिवारिक पेंशन उत्तराखण्ड पारिवारिक पेंशन नियमावली के सामान्य दिशा–निर्देशों के अनुसार निश्चित की जायेगी।

(3) अविवाहित अवयस्क पुत्री अथवा अवयस्क आश्रित अविवाहित बहिन की दशा में, उसका विवाह होने तक अथवा उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा मृत्यु तक, इसमें जो भी पहले हो,
(4) पिता या दादा की दशा में जीवन पर्यन्त चालू रहेगी।
टिप्पणी:– विधवा को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन पुनर्विवाह होने पर बन्द कर दी जायेगी, किन्तु जब ऐसा पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, अभित्याग (Desertion) अथवा दूसरे पति की मृत्यु हो जाने से रदद् हो जाय तो उसकी पेंशन इस प्रमाण पर फिर बहाल की जा सकती है कि उसकी परिस्थितियों के कारण उसे पेंशन देना आवश्यक है और वह अन्य प्रकार से पात्र है और वह अपने पहले पति (अर्थात मृत पुलिस कर्मचारी) के बच्चों का भरण–पोषण करती है और उसकी पेंशन फिर बहाल कर दिये जाने पर बच्चों को अनुमत पेंशन दिया जाना बन्द कर दिया जायेगा।

नियम–9 का संशोधन

6. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के उप नियम–(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात.–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2)– जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा उत्पन्न हो जाय तो उस कार्यालय व उस विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी सेवायोजित रहा हो, सामान्य माध्यम से निम्नलिखित लेख्यों के साथ उस दावे को राज्य सरकार के पास भेजेगा:– 1 उन परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिनमें मृत्यु हुई है, 2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड की इस आशय की एक रिपोर्ट कि क्या नियमावली के अधीन अभिनिर्णय अनुमन्य है अथवा नहीं और यदि अनुमन्य है तो कितने धनराशि का।	(2)– जब किसी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा उत्पन्न हो जाय, तो उस कार्यालय या विभाग का अध्यक्ष, जिसमें मृत पुलिस कर्मचारी, पी.ए.सी कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी सेवायोजित था, उचित माध्यम से, उन परिस्थितियों के पूरे विवरण सहित जिनके कारण मृत्यु हुई, दावा शासन को अग्रसारित करेगा।

नियम–10 का संशोधन

7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10– राज्यपाल स्वविवेक से अपवादित परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी के बच्चों को नियम–8(दो) (2) (3) में नियत सीमाओं के बाद भी अपनी पेंशन पाने के अनुज्ञा दे सकते है।	(10)–राज्यपाल स्वविवेक से आपवादिक परिस्थितियों में मृत पुलिस कर्मचारी, पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी के आश्रितों को नियम 8(2) में विहित सीमा से परे अपनी पेंशन प्राप्त करने की निरन्तरता की अनुमति दे सकते है।

नियम–11 का अन्तः स्थापन

8. मूल नियमावली में नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम–11 अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा अर्थात –

11.(1) असाधारण पेंशन के अस्वीकृत किये गये दावों पर पुनर्विचार का अधिकार शासन में निहित होगा। इसके लिए आश्रित को अस्वीकृति की अधिसूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर शासन अथवा पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शासन प्रत्यावेदन पर आवश्यक निर्णय लेगा।

(2) किसी भी पुलिस कर्मचारी ,पी.ए.सी. कर्मचारी तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी को असाधारण पेंशन देय नहीं होगी यदि डयूटी ग्रहण करने के लिए उपस्थित होने से पूर्व या उसकी अपनी डयूटी समाप्त करने के बाद किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, जब कि वह अपने आवास पर हो अथवा जब किसी स्थान के लिए यात्रा कर रहा/रही हो।

(3) उत्तराखण्ड (असाधारण पेंशन) (संशोधन) नियमावली 2018 की अधिसूचना के पश्चात् असाधारण पेंशन के मामलों के निस्तारित करने से सम्बन्धित सभी शासनादेश यथा शासनादेश दिनांक 23 जनवरी, 1980 और 19 जुलाई 1978 अप्रभावी हो जायेगें।

अनुसूची का संशोधन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी अर्थात –

स्तम्भ–1 विद्यमान अनुसूची पारिवारिक पेंशन और आनुतोषिक		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची पारिवारिक पेंशन और उपदान	
विधवा को आनुतोषिक	विधवा को पेंशन	विधवा/विधुर को उपदान	विधवा/विधुर की पेंशन
मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा	मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक	मृत पुलिस कर्मचारी पी.ए.सी.	(1) देय असाधारण पेंशन मृत पुलिस कर्मचारी, पी.ए.सी.

अन्तिम बार ली गयी आठ माह के बराबर उपलब्धियों।	ली गयी उपलब्धियों के बराबर जब वह अधिवार्षिक पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता तत्पश्चात् पेंशन उस धनराशि के बराबर हो जायेगी, जो मृत पुलिस कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हो गयी होती तो पुलिस कर्मचारियों पर तत्समय लागू साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता किन्तु ऐसा निम्नलिखित पूर्व धारणाओं के रहते हुए होगाः– क–मृत पुलिस कर्मचारी अधिवार्षिकी के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहा और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी। ख– यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था तो उसके स्थायीकरण से सम्भाव्य दिनांक की पूर्व धारण कर ली जायेगी। यदि मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार जिस वेतन क्रम पर कार्य किया हो वह उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाय, जिस दिनांक को वह अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस पूर्व धारित वेतन पर की जायेगी जो मृत कर्मचारी यदि वह जीवित होता तो अधिवार्षिकी के समय लेता।	तथा अग्निशमन सेवा कर्मचारी द्वारा अन्तिम आहरित की गयी आठ माह के बराबर परिलब्धिया।	तथा अग्निशमन सेवा के कर्मचारी द्वारा आहरित उस दिनांक के पेंशन की परिलब्धियों (मूल वेतन और उस वेतन पर महगाई भत्ता) के बराबर होगी, जो वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त करता। उसके बाद साधारण पेंशन (पारिवारिक पेंशन नहीं) निम्नलिखित उपधारणाओं के अध्यधीन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत पुलिस कर्मचारी तत्समय पुलिस कर्मचारियों पर लागू साधारण पेंशन नियमावली के अनुसार आहरित करता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होतीः– (क) यह कि मृत पुलिस कर्मचारी अधिवर्षता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा में निरन्तर बने रहता और वह कोई पदोन्नति प्राप्त नहीं करता। (ख) यह कि यदि मृत कर्मचारी अस्थायी था अथवा स्थानापन्न हैसियत से काम कर रहा था, उसके स्थायीकरण का सम्भावित दिनांक उपधारित कर लिया जायेगा। यदि वेतनमान जिस पर मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार काम किया था उस दिनांक तक पुनरीक्षित व दिया जाता है जिससे वह अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की गणना उस

उपधारित वेतन में की जायेगी जो मृत कर्मचारी अधिवर्षता के समय आहरित करता, यदि वह जीवित रहा होता।

यदि ऐसे आश्रित है जो एक से अधिक असाधारण पेंशन आहरित कर रहे है तो उन्हें उसी तरीके से पारिवारिक पेंशन देय होगी।

(2) असाधारण पेंशन नियमावली जो सरकारी अर्द्धसरकारी स्वायतशासी संस्था अथवा किसी लोक उद्यम में काम कर रहा/रही है तो वह विकल्प दे सकता/सकती है कि वह पेंशन धनराशि पर मंहगाई भत्ता लेना चाहता/चाहती है अथवा अपने वेतन पर, जो भी अपेक्षाकृत लाभपद हो।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of "The Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 899/XX-7/2018-1(40)/2014,** Dehradun, dated July 11, 2018.

NOTIFICATION

Miscellaneous

July 11, 2018

No. 899/XX-7/2018-1(40)/2014--In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of "The Constitution of India" the Governor is pleased to make the following Rules to amend the Uttar Pradesh Police (Extraordinary Pension) Rules, 1961 (as applicable to the state of Uttarakhand) to the context of state of Uttarakhand.

The Uttarakhand Police (Extraordinary Pension) (Amendment) Rules,2018

Short Title and Commencement	1	(1) These Rules may be called the Uttarakhand Police (Extraordinary Pension) (Amendment) Rules,2018 (2) They shall come into force at once
Amendment of rule 2	2	In uttar Pradesh Police (Extraordinary Pension) Rules,1961 (herein after referred to as principal rules) for existing clause (e) of rule 2 set out in column- 1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1	**Column-2**
Existing Rule	**Rule hereby substituted**
(e) 'Police official ' means a member of the Police Force constituted under Section 2 of the Police Act, 1961, and a member of the Uttar Pradesh Pradeshik Armed Constabulary raised under section 3 of the U.P Pradeshik Armed Constabulary Act, 1948 (U.P. Act No.XL of 1948).	(e) 'Police official' means a member of organised Police Force constituted under Section 3 of the Uttarakhand Police Act 2007 and a member of organised force of fire under section of the Uttarakhand fire and Emergency service, Fire Prevention & Fire safety Act 2016.

Amendment of rule 3 3 . In the Principal rules, for existing rule 3 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule hereby substituted
3. These rules shall apply to all the police officers and men (gazette and non-gazetted both) whether employed in a permanent or temporary capacity under the rule making control of the Governer who are killed or who die in encounters with dacoits or armed criminals or with foreign hostiles, or, in the course of performance of any other duty. Provided that no award shall be made under the Uttar Pradesh Civil Services (Extraordinary Pension) Rules or any family pension/gratuity under the U.P. Liberalised Pension Rules, 1961, or U.P. Retirement Benefits Rules, 1961 or Government Contribution under the U.P. Contributory Provident Pension Fund Rules be payable to the family of a Police official to whom an award has been made under these rules.	3. These rules shall apply to all the Gazetted /Non- Gazetted Police, PAC and Fire Service personnel of Uttarakhand, whet 76 her employed in a permanent or temporary capacity, under the rule making control of the Governor, who dies while on duty under the following circumstancs:- (a) Death due to attack /fight with dacoits/ criminals/ foreign/ hostiles/ extremists/ terrorists/naxalites etc, (b) Death during controlling violent /incited mob. (c) Death during accident, while undergoing important training/ demonstration, (d) Death while protection rescue of people during natural disasters e.g flood/ earthquake / landslide ice storm etc. (e) Death while protection/ rescue of people during extinguishing of fire in any area. (f) Death due to attack in an area under curfew, and (g) Death due to attack while escorting prisoner.

Amendment of rule 6 4 . In the Principal rules, for existing rule 6 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1	Column-2
Existing Rule	**Rule hereby substituted**
6. An award shall be sanctioned to the widow of a police official to whom these rules apply in accordance with the provisions contained in the Schedule annexed to these rules. If the wife of the deceased police official is not alive or dies or remarries the minor children shall in case of such event be entitled to full pension which would have been admissible to the widow and it shall be equally distributed among them. If the deacesed police official is not survived by his wife, or is so survived but the gratuity has not been paid of her until she dies or remarries, the gratuity which would have been admissible to the widow shall be equally distributed among the children entitled to receive pension. **Note** :- If the police official dies leaving behind two or more widows, the amount of awards admissible under this rule to the widow shall be divided (equally among all the widows).	6. An award shall be sanctioned to the widow/widower/dependent of a police official, PAC official and Fire Service official, to whom these rules apply in accordance with the provisions contained in the Schedule annexed to these rules. If the wife/husband of the deceased police official, PAC official or Fire Service official is not alive or dies or remarries then the dependent minor children shall in case of such event be entitled to full pension which would have been admissible to the widow/widower and it shall be distributed as per the general guidelines of the Uttarakhand Family Pension Rules. **Note** :- If the police official dies leaving behind two or more widows, the amount of awards admissible under this rule to the widow shall be divided (equally among all the widows).

Amendment of rule 8 5 . **In the Principal rules, for existing rule 8 setout in column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-**

Column-1	Column-2
Existing Rule	**Rule hereby substituted**
8.(1) Family pension shall take effect from the day follo wing the death of the Police official or from such other date as the Governor may decide.	8.(1) Family pension shall take effect from the day following the death of the Police official, , PAC official and Fire Service official, or from such other date as the Governor may appoint

(2) A family pension shall ordinarily be tenable- (1) In the case of widow or widowed mother or widowed grandmother, until death or remarriage, whichever is earlier, (ii) In the case of minor son or minor dependent brother until he attains the age of 18 years or death whichever is earlier, (iii) In case of unmarried minor daughter or minor dependent unmarried sister on being married or till attaining the age of 21 years or death whichever is earlier, (iv)In the case of father or grandfather, for life. **NOTE**:The family pension of a widow shall cease on remarriage ,but when such remarriage, but when such remarriage is annulled by divorce , desertion or death of the second husband , her pension may be restored upon proof that her circumstances necessitate a pension and she is otherwise deserving and that she is maintaining her children from her first husband (that is,the decreased police official) and on restoration of her pension ,the pension allowed to children shall cease to be paid.	(2)Family pension of the dependent of the concerned Police official ,PAC official or Fire Service official shall be decided as per the general guidelines of the Uttarakhand Family Pension Rules.

Amendment of rule 9 **6 . In the Principal rules, for existing subrule (2) in rule 9 setout in column 1 below,the sub rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-**

Column-1	**Column-2**
Existing Rule	**Rule hereby substituted**
(2). When a claim for any family pension arises, the Head of the Office or of the Department in which the decreased. Police official was employed will forward the claim	**(2).** When a claim for any family pension arises, the Head of the Office or of the Department in which the deceased Police official ,PAC official or Fire Service official was employed will forward the claim through

through the usual channel to the State Government with the following documents:-

(i) A full statement of circumstances in which the death occurred..
(ii) A report of the Accountant General, Uttar Pradesh, as to whether an award is admissible under the rules, and if so,of what amount.

proper channel to the State Government with the full statement of the circumstances in which the death occurred.

Amendment of rule 10 7 **In the Principal rules, for existing rule 10 setout in column 1 below,the rule 10 as setout in column 2 shall be substituted, namely:-**

Column-1	**Column-2**
Existing Rule	**Rule hereby substituted**
(10). The Governor may, at his discretion, permit in exceptional circumstances , the children of a deceased police official to continue to receive their pensions beyond the limits prescribed in Rule 8(2) (ii) to (iii).	**(10).** The Governor may, at his discretion, permit in exceptional circumstances , the dependents of a deceased Police official, PAC official and Fire Service official to continue receive their pensions beyond the limits prescribed in rule 8(2).

Insertion of new rule 11 8 **In the Principal rules, after rule 10, the following new rule 11 shall be inserted, namely:-**

11 **(1)** The right to review a rejected claim for Extraordinary Pension shall be vested in the Government .For this, the dependent would mandatorily have to submit representation before the Government or Police HeadQuarters,Uttarakhand within three months from date of receipt of rejection notification. The Government will take the necessary decision on the representation.

(2) Extra Ordinary Pension shall not be due for any Police official , PAC and fire Services official if he\she dies in an accident that occurred before he or she reported for duty , or after he or she finimished her duty, while staying in his\her residence or while travelling to any place.

(3) All the Government Orders related to disposing the matters of Extraordinary pension ,viz, Government Orders dated January 23,1980 and July 19,1978 etc., shall be ineffective after notification of the Uttarakhand Police (Extraordinary Pension) (Ammendment) Rules, 2018."

Amendment of Schedule 9 **In the Principal rules, for existing Schedule set out in column 1 below, the Schedule as set out in column 2 shall be substituted ,namely:-**

Column-1		**Column-2**	
Existing Schedule Family Pensions and Gratuity		**Schedule as hereby substituted Schedule Family Pensions and Gratuity**	
Gratuity to Widow	Pension to widow	Gratuity to Widow\widower	Pension to Widow \widower
Equal to eight months's emoluments last drawn by the deceased police official	Equal to the emoluments drawn by the deceased police official till the date the official would have retired on superannuation pension.Thereafter , the pension will be equal to that amount which the deceased police official would have drawn in accordance with ordinary pension rules applicable to the police officials at that time had he not died, subject to the following presumptions:- (a) that the deceased police official would have continued to	Equal to eight months's emoluments last drawn by the deceased police official, Pac and Fire Services official	Extraordinary Pension payable shall be equal to the emoluments (Basic pay and the Dearness Allowance on that pay) drawn by the deceased Police official ,. PAC and Fire Service official till the date the official would have retired on superannuation pension.Thereafter , normal pension (not family pension) shall be equal to that amount which the deceased police official would have drawn in accordance with ordinary pensions rules applicable to the police officials at that time he had not died, subject to the following presumptions:- (a) that the deceased police official would have continued to render qualifying service, till the date of superannuation and that he did not get any promotion. (b) that in case the deceased official was

render qualifying service, till the date of superannuation and that he did not get any promotion.

(b) that in case the deceased official was temporary or was working in an officiating capacity, a probable date of his confirmation will be presumed. In case the scale in which the deceased official worked last is revised by the date on which he would have retired on superannuation , the pension will be calculated in the presumptive pay which the deceased official would have drawn at the time of superannuation had he been alive.

If there are dependents drawing more than one extraordinary pension, they shall be due for family pension in the same manner.

(2) The recipient of Extraordinary Pension who is working in Government, Semi-Government,Autonomous Institution or Public Enterprise may choose whether he\she wants to avail of Dearness Allowance on the pension amount or on his\her salary , whichever may be beneficial.

By Order,

ANAND BARDHAN,
Principal Secretary, Home.

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

स्थानान्तरण

18 जून, 2018 ई0

संख्या 495/2018/02(100)/XXVII(8)/2018–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–1285/आयु0रा0क0उत्तरा0/स्था0अनु0/रा0कर/2018–19/दे0दून दिनांक 06–06–2018 द्वारा किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति के संस्तुति के क्रम में राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित उपायुक्तों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित स्थान पर स्थानान्तरण एतद्द्वारा निम्नवत् किया जाता है :–

(क) सुगम से दुर्गम–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नवीन तैनाती का कार्यालय/स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती सुमन सिंह जंगपांगी उपायुक्त, राज्य कर	उपायुक्त (टैक्स रिव्यू), रूद्रपुर	उपायुक्त (क0नि0), रामनगर (नैनीताल)	धारा–7 के अन्तर्गत।

(ख) अनुरोध के आधार पर–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नवीन तैनाती का कार्यालय/स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती हेमा बिष्ट, उपायुक्त, राज्य कर	सम्बद्ध–अपर आयुक्त, रूद्रपुर जोन, रूद्रपुर, प्रभार–उपायुक्त (एस0टी0एफ0), रूद्रपुर	उपायुक्त (राज्य प्रतिनिधि), हल्द्वानी।	धारा–13 के अन्तर्गत।
2.	श्री रजनीश सच्चिदानन्द यशवस्थी उपायुक्त, राज्य कर	उपायुक्त (क0नि0)–2, राज्य कर, देहरादून	उपायुक्त, (एस0टी0एफ0), रूद्रपुर।	धारा–13 अन्तर्गत।
3.	श्री एस0एस0 तिरूवा/उपायुक्त, राज्य कर/पिथौरागढ़	उपायुक्त (एस0टी0एफ0), राज्य कर, देहरादून	उपायुक्त, (क0नि0), ऋषिकेश।	धारा–13 अन्तर्गत।

(ग) दुर्गम से सुगम–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नवीन तैनाती का कार्यालय/स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री संजीव कुमार सोलंकी, उपायुक्त, राज्य कर	उपायुक्त (क0नि0), ऋषिकेश	उपायुक्त (क0नि0)–4, राज्य कर, हरिद्वार।	धारा–10 के अन्तर्गत।

2–उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देना सुनिश्चित करें।

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

अधिसूचना

पदोन्नति/तैनाती आदेश

16 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 606/2018/45(100)/XXVII(8)/2005—तत्काल प्रभाव से राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत श्री अनिल सिंह, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून को अपर आयुक्त, राज्य कर वेतन मैट्रिक्स लेवल '13क' (₹ 131100–216600) (पूर्व वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900) के रिक्त पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नत अधिकारी को अपर आयुक्त, राज्य कर, रूद्रपुर जोन, रूद्रपुर के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

3—उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

10 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 469/IX-1/54/2018—भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–G.S.R. 711(E), दिनांक 21 जुलाई, 2016 के माध्यम से एक 'डिजीलॉकर प्राधिकार' गठित किया गया है, जिसके तहत विकसित डिजीटल प्लेटफार्म के अन्तर्गत मूलतः निर्गत प्रमाणपत्र एवं अन्य अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप संग्रहित है। इसे नागरिकों के "आधार नम्बर" के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है।

2—इस डिजीटल प्लेटफार्म के अन्तर्गत वर्तमान में नागरिकों को निर्गत चालक अनुज्ञप्ति (Driving Licence) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (Registration Certificate) की सुविधा उपलब्ध है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नेशनल रजिस्ट्रार से इंट्रीगेट किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत डिजीलॉकर में उपलब्ध ये अभिलेख एवं प्रमाणपत्र मूल अभिलेख/प्रमाणपत्र के समरूप समझा जायेगा बशर्ते वह लिंक आधारित या डाटाबेस से निर्गत प्राधिकार द्वारा निर्गत हो अर्थात वह व्यवस्था मात्र issued document हेतु लागू होगा, न कि uploaded document में।

3—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित डिजीलॉकर के साथ सम्बद्ध है जिसके फलस्वरूप नागरिकगण वाहन चालक अनुज्ञप्ति (DL) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (RC) अपने "आधार नम्बर" के माध्यम से डाउनलोड कर उपयोग कर सकते है।

4—अतः उपरोक्त के क्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा डिजीटल व्यवस्था को प्रोत्साहित किये जाने एवं आम नागरिकों की सुविधा हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा विकसित "डिजीलॉकर एप" के माध्यम से आम नागरिकों द्वारा अपने वाहन चालक अनुज्ञप्ति (Driving Licence) एवं वाहन निबंधन प्रमाणपत्र (Registration Certificate) को सुरक्षित रखे जाने तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रति को आवश्यकतानुसार उपयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

5–उक्त सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन प्रमाण पत्रों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू होने के उपरान्त नागरिकों के समय की बचत के साथ उनके प्रांसगिक अभिलेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी तथा इसे प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्रों की पुष्टि करने से यातायात नियमों के बेहतर अनुपालन एवं प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से नागरिकों को 'चालक अनुज्ञप्ति' तथा 'वाहन निबंधन प्रमाणपत्र' को भौतिक रूप में अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके विकल्प स्वरूप उनके द्वारा अपने मोबाइल फोन के 'डिजीलॉकर ऐप (Digilocker App) के अन्तर्गत उपलब्ध अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

शैलेश बगौली,

सचिव।

सिंचाई विभाग

कार्यालय आदेश

17 जुलाई, 2018 ई0

संख्या 1282/II(1)/2018–01(48)/2018–एतद्द्वारा सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रिक्त अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों के सापेक्ष निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं को कार्यहित में अग्रिम आदेशों तक प्रभारी अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 03 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से कॉलम 04 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर तैनात किया जाता है :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम सर्व श्री	वर्तमान में सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यरत खण्ड का नाम	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता का पद हेतु नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	राज बहादुर सिंह	नलकूप खण्ड, रुड़की।	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	रिक्त पद पर।
2.	जबर सिंह नेगी	मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) देहरादून	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	रिक्त पद पर।

2. उपरोक्त अधिकारियों की उपरोक्तानुसार तैनाती हो जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित का वेतन पूर्व की भांति ही आहरित किया जायेगा तथा उक्त हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते देय नहीं होंगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

देवेन्द्र पालीवाल,

अपर सचिव।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग

विज्ञप्ति

29 अगस्त, 2018 ई0

संख्या 99/VI/2018–83(2) 2018—श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2018) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता नियमावली, 2018, जिसकी प्रति संलग्न है, को तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संस्कृति विभाग

अधिसूचना

विविध

संख्या 99/VI/2018—श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2018) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक् असर, प्रपीडन, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए राजी करने के निषेध और उससे आनुषांगिक विषयों को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :—

(क) "**अधिनियम**" से उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 अभिप्रेत है;

(ख) "**प्ररूप**" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड की राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "**राज्य**" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ङ) "**धारा**" से उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 की धारा अभिप्रेत है।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां जैसा यहां प्रयुक्त की गई हैं और परिभाषित नहीं की गई है, परंतु अधिनियम में परिभाषित है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये है।

धर्म परिवर्तन से पूर्व सूचना

3. (1) ऐसा व्यक्ति जो राज्य का निवासी है और अपने धर्म को परिवर्तित करने का आशय रखता है, वह ऐसे धर्म परिवर्तन से पूर्व प्ररूप 'क' में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिसमें वह स्थाई रूप से निवास करता है, को सूचना देगा।

राज्य सरकार को रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण

7. राज्य में प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक माह की 10 तारीख को प्ररूप 'घ' में पूववर्ती माह के दौरान इस सम्बन्ध मे उसके द्वारा प्राप्त सूचना की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

संस्था या संगठन के रजिस्ट्रीकरण का निरस्त किया जाना

8. नियम 3, 4, 5 और 6 में दिये गये धर्म परिवर्तन के उपबंध संस्था या संगठन के सम्बंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध

9. अधिनियम की धारा 11 के अध्यधीन कोई व्यक्ति या संस्था या संगठन यदि धर्म परिवर्तन के सम्बंध में किसी प्रकार का दान या अंशदान प्राप्त करते हैं तो ऐसा दान या अंशदान, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी जांच जैसी वह ठीक समझे तथा युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् जब्त किया जा सकेगा और ऐसा व्यक्ति या संस्था या संगठन धारा 8 की उपधारा (5) तथा उपधारा (6) के अधीन दिये गये दण्ड के लिए दायी होंगे।

सबूत का भार

10. अधिनियम की धारा 13 के अध्यधीन यदि कोई व्यक्ति, पुजारी, संस्था या संगठन धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा करता/कराता है तो सबूत का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा जिसने उक्तवत् धर्म परिवर्तित किया है एवं जब कोई व्यक्ति, पुजारी, संस्था या संगठन जिसने ऐसा धर्म परिवर्तन करना सुनिश्चित किया है तो सबूत का भार ऐसे व्यक्ति, पुजारी, संस्था या संगठन पर होगा।

स्पष्टीकरण

अधिनियम की धारा 3 एवं 6 के प्रयोजनार्थ तथा अधिनियम में जहाँ–जहाँ विवाह शब्द आया है, में विवाह का आशय एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के फलस्वरूप किया गया विवाह है, जो मिथ्या निरूपण, बल, प्रपीडन, प्रलोभन या अन्य किसी कपटपूर्ण आशय से किया गया हो।

प्ररूप 'क'
(नियम 3 (1) देखिए)

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट

जिला.....

महोदय,

मैं.....पुत्र/पत्नी/पुत्री .....आयु.....निवासी..... अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या सामान्य श्रेणी से संबद्ध रखता हूँ और ..... धर्म से .... में विश्वास करते हुए धर्म परिवर्तन चाहता हूं तथा एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि उक्त धर्म परिवर्तन मेरे स्वंय की इच्छा पर है वह किसी बल अथवा प्रलोभन का प्रयोग किये बिना किया जा रहा है। मेरी जन्म तिथि..... है और मैं अवयस्क नही हूं।

स्थानः

दिनांकः

धर्म परिवर्तन के
इच्छुक व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 'ख'

(नियम 3 देखिए)

धर्म परिवर्तन की सूचना और शिकायतों का रजिस्टर

सूचना और शिकायत के प्राप्ति की तारीख	सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और शिकायत करने वाले का नाम	पिता का नाम	धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का नाम और सम्पूर्ण पता	आयु	लिंग	धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का व्यवसाय और मासिक आय	क्या विवाहित है या अविवाहित
1	2	3	4	5	6	7	8

व्यक्तियों के नाम यदि कोई धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हों	यदि अवयस्क है तो अभिवावक का नाम और पूर्ण पता	क्या सम्बंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है यदि हां तो ऐसे व्यक्ति की जाति या जनजाति का विवरण	क्या जांच हो गयी है या नही और यदि जांच हो गयी है तो संक्षिप्त में जांच के निष्कर्ष	धारा 8 के अधीन पुलिस स्टेशन को संदर्भित मामले की तारीख	अभियोजन की स्वीकृति की तारीख यदि कोई हो	अंतिम परिणाम
9	10	11	12	13	14	15

प्ररूप 'ग'
(नियम 5 देखिए)
बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का रजिस्टर

सूचना और शिकायत के प्राप्ति की तारीख	सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और शिकायत करने वाले का नाम	पिता का नाम	धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का नाम और सम्पूर्ण पता	आयु	लिंग	धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति का व्यवसाय और मासिक आय	क्या विवाहित है या अविवाहित
1	2	3	4	5	6	7	8

व्यक्तियों के नाम यदि कोई धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हों	यदि अवयस्क है तो अभिवावक का नाम और पूर्ण पता	क्या सम्बंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है यदि हां तो ऐसे व्यक्ति की जाति या जनजाति का विवरण	संक्षिप्त में जांच के निष्कर्ष	धारा 8 के अधीन पुलिस स्टेशन को संदर्भित मामले की तारीख	अभियोजन की स्वीकृति की तारीख यदि कोई हो अथवा इंकार करने का कारण	न्यायालय का निर्णय तारीख सहित
9	10	11	12	13	14	15

प्ररूप 'घ'
(नियम 7 देखिए)

पूर्ववर्ती माह के अंत तक लंबित जांच के लिए मामलों की संख्या	माह के दौरान सूचनाओं/शिकायतों की संख्या	कुल लंबित जांचों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित जांचों की संख्या		माह के अंत में लंबित मामलों की संख्या
			दाखिल	पंजीकरण हेतु मामला भेज दिया है	
1	2	3	4(क)	4(ख)	5

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव (प्रभारी)।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of **"The Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 99/VI/2018,** Dehradun, dated August 29, 2018 for general information:

NOTIFICATION

Miscellaneous

August 29, 2018

No. 99/VI/2018--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 16 of the Uttarakhand Freedom of Religion Act. 2018 (Act no. 28 of 2018), the Governor is pleased to make following rules for the purposes of prohibition of conversion from on religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage and to facilitate the matters incidental thereto;

The Uttarakhand Freedom of Religion Rules, 2018

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Freedom of Religion Rules, 2018.

(2) It shall come into force at once.

Definitions

2. (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) 'Act" means the Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018;

(b) 'Form' means form appended to these rules;

(c) 'Government' means the Uttarakhand State Government;

(d) 'State' means State of Uttarakhand;

(e) 'Section' means the section of the Uttarakhand freedom of religion Act. 2018.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

Notice before conversion

3 (1) Any person domiciled in the State and intending to convert his religion, shall give a notice to the District Magistrate of the District in which he is permanently resident, prior to such conversion, in Form 'A'.

(2) The District Magistrate shall cause all notices received under sub-rule (1) to be entered in a Register of Notices and Complaints of conversion in Form-B, and may within fifteen days from the receipt of said notice, get the matter enquired into by such agency as he may deem fit and record his findings as regards the particulars of notice given:

Provided that adequate opportunity shall be given to the person giving notice and any other person likely to be prejudicially affected to associate himself with any such enquiry.

(3) On receipt of the application made under sub-rule (1) in Form A, the District Magistrate shall put his signature thereon indicating the date and time of receipt of such application. An acknowledgement for the receipt of the application shall be given in Form 'B'.

Inquiries in other cases

4. (1) Where on the basis of any complaint or any information laid before him, the District Magistrate is of the opinion, for reasons to be recorded that-

(a) Misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or any fraudulent means or marriage have been used or likely to be used in any conversion within the local limits of his jurisdiction; or

(b) A conversion has taken place without notice in contravention of the provisions of this Act, he may cause an inquiry to be made in the matter and proceed in the manner as provided in rule 3.

(2) Every such complaint so received shall be entered in the Register of Notices and Complaints of conversion in Form 'B'.

Registration and Investigation of Case

5. If after enquiry under rule 3 or rule 4, as the case may be, the District Magistrate records a finding that a conversion, through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage has taken place or is likely to take place or done without the requisite notice, he shall enter the particulars of the case in the Register of Forced Conversion in Form 'C' and refer the case along with all material adduced during the course of the enquiry to the Police Station in which the person is resident or where the conversion is intended or done for registration of a case and its investigation.

Sanction for Prosecution

6. If after investigating the matter, it appears that an offence under section 8 has been committed, the Investigating Officer shall place all relevant material before the authority empowered under section 9 to grant prosecution sanction and such sanction shall be granted or refused within a period of seven days, giving reasons in writing.

Submission of report to the State Government

7. The District Magistrate of the each district in the State shall on the 10th of each month send to the State Government a report of intimations received by him in this respect during the preceding month in Forms 'D'

Repealment of Registration of Institution or Organization

8. The provision of conversion given in rule 3,4,5 and 6 shall be applicable, 'mutatis mutandis', regarding the registration of the Institution or Organization.

Prohibition of accepting donation or contribution

9. Subject to the section 11 of Act, if any person or Institution or Organization receive any kind of donation or contribution regarding conversion, such donation or contribution may be forfeited by district magistrate after such inquiry as he may deem fit and giving reasonable opportunity of hearing and such person or institution or organization shall be liable for the punishment under sub section (5) and sub section (6) of section 8 of the Act.

Burden of proof

10. Subject to the section 13 of Act, if any person, priest, institution or organization convert/make conversion from misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or any other fraudulent method or by marriage, the burden of proof shall lie on such person who have made the aforesaid conversion and when any person, priest, institution or organization has ensured such conversion then the burden of proof shall lie on such person, priest, institution or organization.

Explanation

For the purpose of section 3 and section 6 of the Act wherever the word 'marriage' occurs in the Act, marriage means marriage done as a consequence of conversion from one religion to another religion, which is done with the intention of misrepresentation, force, coercion, allurement or any other fraudulent means.

FORM A

See rule 3 (1)

NOTICE BEFORE CONVERSION FROM ONE RELIGIOUS FAITH TO ANOTHER

To:

The District Magistrate,

District .....

Sir,

I, ... S/o W/o D/o ..... aged ..... R/O ..... belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or General category intend to convert from ..... religious faith to ..... religious faith and do hereby declare that the said conversion is on my own will and without use of any force or inducement. My date of birth is ..... and I am not a minor.

Place:

Date:

Signature of the person intending to convert religion

FORM C
(see rule 5)
REGISTER OF FORCED CONVERSION

Date of receipt of notice or complaint	Name and address of the person giving notice or making complaint	Father's name	Name and full address of the person converting	Age	Sex	Occupation and monthly income of the person converted	Whether married or unmarried
1	2	3	4	5	6	7	8

Name of persons, if any, dependent upon the person converted	If a minor, name and full address of the guardian, if any	Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such Caste or Tribe	Findings of the inquiry in brief	Date, if referred to Police Station under section 5	Date of prosecution sanction, if any or reasons for refusal	Verdict of court with date
9	10	11	12	13	14	15

FORM D
(see rule 7)

No. of cases pending inquiry at the end of previous month	No. of notices / complaints received during month.	Total No. of pending inquiries	No. of inquiries disposed of during month		No. of cases pending at the end of the month.
			Filed	Sent for registration of case	
1	2	3	4(a)	4(b)	5

By Order,

DILIP JAWALKAR,
Secretary (Incharge).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/565–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 ई0 (आश्विन 28, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 27, 2018

No. 269/UHC/XIV-a/37/Admin.A/2015--Sri Mithilesh Pandey, 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 10 days *w.e.f.* 04.08.2018 to 13.08.2018.

NOTIFICATION

August 28, 2018

No. 270/UHC/XIV-a-16/Admin.A/2009--Sri Yogendra Kumar Sagar, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 16.04.2018 to 28.04.2018 with permission to prefix 14.04.2018 & 15.04.2018 as 2nd Saturday and Sunday holidays and suffix 29.04.2018 & 30.04.2018 as Sunday & Buddha Purnima holidays respectively.

NOTIFICATION

September 10, 2018

No. 278/UHC/XIV-62/Admin.A/2004--Sri Amit Kumar Sirohi, Additional District Judge Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 08.08.2018 to 27.08.2018.

NOTIFICATION

September 10, 2018

No. 279/UHC/XIV-30/Admin.A/2008--Sri Man Mohan Singh, Chief Judicial Magistrate, Almora is hereby sanctioned Medical leave for 60 days *w.e.f.* 09.06.2018 to 07.08.2018.

NOTIFICATION

September 10, 2018

No. 280/UHC/XIV-a/28/Admin.A/2012--Ms. Ritika Semwal, 2nd Additional Ciivil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned Medical leave for 12 days *w.e.f.* 16.08.2018 to 27.08.2018.

NOTIFICATION

September 10, 2018

No. 281/UHC/XIV-30/Admin.A/2008--Sri Man Mohan Singh, Chief Judicial Magistrate, Almora is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 13.08.2018 to 27.08.2018 with permission to prefix 11.08.2018 & 12.08.2018 as public holidays.

NOTIFICATION

September 14, 2018

No. 308/UHC/XIV/33/Admin.A--Sri Dinesh Prasad Gairola, District & Sessions Judge, Uttarkashi is hereby sanctioned Medical leave for 14 days *w.e.f.* 22.08.2018 to 04.09.2018.

NOTIFICATION

September 14, 2018

No. 309/XIV-a/36/Admin.A/2013--Sri Imran Mohammad Khan, Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 23.08.2018 to 06.09.2018 with permission to prefix 22.08.2018 as IdulZuha holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

27 अगस्त, 2018 ई0

पत्रांक 453/एक–03–2016–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या –3391/XIV-a/52/Admin.A/2012, दिनांक 06 अगस्त, 2018 के द्वारा दिनांक 13–08–2018 से दिनांक 25–08–2018 तक (दिनांक 11–08–2018 माह का द्वितीय शनिवार, 12–08–2018 रविवार, अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 26–08–2018 रविवार अवकाश को पश्योजित करते हुए) अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप उक्त अर्जित अवकाश का उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 27–08–2018 के पूर्वाह्न में सिविल जज (जू0डि0), पिथौरागढ़ का पदभार ग्रहण किया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

अकरम अली,
सिविल जज (जू0डि0)
पिथौरागढ़।

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

01 सितम्बर, 2018 ई0

पत्रांक 475/एक–04–2016–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या –1011/XIV-a/58/Admin.A/2012, दिनांक 09 मार्च, 2018 के द्वारा दिनांक 05–03–2018 से 31–08–2018 तक कुल 180 दिन के मातृत्व अवकाश (MATERNITY LEAVE) (दिनांक 02–03–2018 व 03–03–2018 होली अवकाश एवं दिनांक 04–03–2018 रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए) मातृत्व अवकाश (MATERNITY LEAVE) स्वीकृत होने के फलस्वरूप उक्त अवकाश का उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 01–09–2018 के पूर्वाह्न में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिथौरागढ़ का पदभार ग्रहण किया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

नेहा कय्यूम,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
पिथौरागढ़।

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, DEHRADUN

CHARGE CERTIFICATE

August 27, 2018

No. 163/PST/Admin. IV/2018/Dehradun--Certified that in compliance of the Notification No. 261/UHC/Admin.A/2018, dated August 20, 2018 of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital, the charge of the office of the Joint Registrar (Judicial & Admin.) Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been handed over, as denoted herein, in the forenoon of August 27, 2018.

VIBHA YADAV,
Relieved Officer.

Countersigned
(Illegible)
Chairman,
Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

CHARGE CERTIFICATE

August 27, 2018

No. 164/PST/Admin. IV/2018/Dehradun--Certified that in compliance of the Hon'ble High Court's letter No. 3618/XVII-113/Admin.A/2004, Dated August 20, 2018 and vide Notification No. 238(2)/XXXVI/(1)/2018-18/2000, T.C.-1 of the Uttarakhand Government, *Nyay Anubhag-I,* Dated August 21, 2018, the charge of the office of the Joint Registrar (Judicial & Admin.), Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been taken over, as denoted herein, in the afternoon of August 27, 2018.

PRADEEP KUMAR MANI,
Relieving Officer.

Countersigned
(Illegible)
Chairman,
Uttarakhand Public Services Tribunal,
Dehradun.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND

CHARGE CERTIFICATE

(on transfer, taking over)

September 07, 2018

10

No. 4126/Admin.(A)-UHC/2018--CERTIFIED that the Office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* Notification No. 275/UHC/Admin.A/2018, dated 31.08.2018 of High Court of Uttarakhand, Nainital, as herein denoted in the afternoon of 07.09.2018.

KAUSHAL KISHORE SHUKLA,
Relieving Officer.

Countersigned
(PRADEEP PANT)
Registrar General,
High Court of Uttarakhand.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over on transfer)

September 10, 2018

No. 4127/UHC/Admin.A/2018--CERTIFIED that the charge of Office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital, has been handed over by the undersigned in the afternoon of Sept. 05. 2018 in compliance of Govt. Notification No. 768/(1)/XX(1)-2018-13(5)2006, dated 05.09.2018.

AJAY CHAUDHARY,
Relieved Officer.

Countersigned
(Illegible)
Registrar General
High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

August

September 11, 2018

No. 4162--This is to certify that the charge of the Office of Chief Public Relations Officer, in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital, is taken over pursuant to the order of the High Court vide Notification No. 276/UHC/Admin.A/2018, dated 31.08.2018 in the afternoon of 31.08.2018.

J.K. JAIN

Countersigned
(Illegible)
Registrar General
High Court of Uttarakhand, Nainital.

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

विज्ञप्ति

15 सितम्बर, 2018 ई0

पत्रांक 1490/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0/2018–19–उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12(2) के अन्तर्गत चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किये जाने का प्राविधान है। उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या 929/सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0–2018–19, दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा राज्य की समस्त चीनी मिलों को पेराई सत्र 2018–19 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी सूचनाए प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2018–19 हेतु गन्ना आवश्यकता

निर्धारण सम्बन्धी सूचनाए उपलब्ध कराई गई। परन्तु निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गन्ना आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी सूचनाए उपलब्ध नहीं कराई गई। संदर्भित विषय में पुनः पत्र संख्या 1261/सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0–2018–19 दिनांक 24 अगस्त, 2018 द्वारा राज्य की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों क्रमशः लिब्बरहेडी, इकबालपुर एवं लक्सर को तीन दिवस के भीतर पेराई सत्र 2018–19 हेतु गन्ना आवश्यकता निर्धारण हेतु सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु अद्यावधिक निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2018–19 हेतु गन्ना सुरक्षण प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। संदर्भित विषय में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गन्ना आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी सूचनाए उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या 1351/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0–2018–19, दिनांक 04 सितम्बर, 2018 द्वारा सूचना शासन स्तर को प्रेषित की जा चुकी है।

पेराई सत्र 2017–18 में राज्य में कुल 86053 हेक्टे0 गन्ना क्षेत्रफल रहा, जिसमें 598.07 लाख कु0 गन्ने का उत्पादन हुआ। गन्ना उत्पादन के सापेक्ष राज्य की चीनी मिलों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का 400.42 लाख कु0 गन्ना क्रय किया गया है, इस प्रकार औसत ड्रॉल लगभग 67 प्रतिशत रहा है। प्रायः यह भी अनुभव किया जाता रहा है कि जिस पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है, फलस्वरूप आगामी पेराई सत्र में कृषकों की गन्ने की खेती के प्रति रूचि कम हो जाती है तथा गन्ने का व्यावर्तन भी होता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव चीनी मिलों को आगामी सत्र में होने वाली गन्ना पेराई पर पड़ता है, जिस कारण चीनी मिलों को चीनी मिल की आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पाती है। पेराई सत्र 2017–18 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किये गये गन्ने के सापेक्ष देय गन्ना मूल्य अंकन ₹ 129238.70 लाख के सापेक्ष अद्यावधिक अंकन ₹ 74556.67 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है तथा अंकन ₹ 54682.03 लाख गन्ना मूल्य वर्तमान में भी अवशेष है। जो कि कुल देयता का 42.31 प्रतिशत है।

यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या 1367/XIV–2/2012, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा उत्तम शुगर मिल्स लि0, लिब्बरहेडी की पेराई क्षमता 6250 टी0सी0डी0, शासन के पत्र संख्या 1485/XIV–2/2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 द्वारा लक्ष्मी शुगर मिल्स कं0 लि0 इकबालपुर (परिवर्तित नाम धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स लि0 इकबालपुर) की पेराई क्षमता 5500 टी0सी0डी0 एवं शासन के पत्र संख्या 1371/XIV–2/2012, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर की पेराई क्षमता 10000 टी0सी0डी0 मानी गई है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं तद्विषयक चीनी मिलों की पंजीकृत पेराई क्षमता, चीनी मिलों द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में की गई गन्ना पेराई एवं औसत गन्ना पेराई तथा चीनी मिलों के विगत तीन वर्षों में कुल शुद्ध कार्य दिवसों एवं औसत कार्य दिवसों का परीक्षण करने उपरान्त पाया गया कि जनपद हरिद्वार स्थित निजी क्षेत्र की चीनी मिल मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0 लिब्बरहेड़ी द्वारा विगत तीन पेराई सत्रों में सर्वाधिक औसत 156.59 कार्य दिवस हेतु पेराई सत्र का संचालन किया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत चीनी मिलों की पंजीकृत पेराई क्षमता तथा चीनी मिलों के न्यूनतम 150 दिवस के पेराई सत्र को आधार मानते हुए पेराई सत्र 2018–19 हेतु गन्ना आवश्यकता का निर्धारण किया जा रहा है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12(2) के अन्तर्गत मैं ललित मोहन रयाल, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चीनी मिलों की पेराई सत्र 2018–19 हेतु गन्ने की आवश्यकता का अनुमान निम्न विवरणानुसार निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा देता हूँ :–

पेराई सत्र 2018–19 हेतु उत्तराखण्ड राज्य की चीनी मिलों की गन्ना आवश्यकता

क्र0सं0	नाम चीनी मिल	जनपद	पंजीकृत पेराई क्षमता (टी0सी0डी0)	गन्ना आवश्यकता (लाख कु0)
1	2	3	4	5
	सहकारी क्षेत्र			
1.	दि बाजपुर को–आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर	ऊधमसिंह नगर	4000	60.00
2.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नादेही	ऊधमसिंह नगर	2000	30.00
	सार्वजनिक क्षेत्र			
3.	किच्छा शुगर कम्पनी लि0 किच्छा	ऊधमसिंह नगर	4000	60.00
4.	डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला	देहरादून	2500	37.50
	निजी क्षेत्र			
5.	मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0, लिब्बरहेड़ी	हरिद्वार	6250	93.75
6.	मैसर्स धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स लि0, इकबालपुर	हरिद्वार	5500	82.50
7.	मैसर्स आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर।	हरिद्वार	10000	150.00

उपरोक्त निर्धारित गन्ना आवश्यकता से अधिक पेराई किये जाने की स्थिति में तद्नुसार संज्ञान लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यदि राज्य सरकार द्वारा आगामी पेराई सत्र में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल सितारगंज को संचालित कराये जाने का निर्णय लिया जाता है तो उपरोक्त वर्णित आधार के अनुसार ही दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सितारगंज की पंजीकृत पेराई क्षमता (2500 टी0सी0डी0) तथा न्यूनतम 150 दिवसों का कार्य दिवस के अनुसार गन्ना आवश्यकता 37.50 लाख कु0 मानी जायेगी।

ललित मोहन रयाल,
गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

13 सितम्बर, 2018 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4602/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 4563/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT-45; 4566/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT-46; तथा 4567/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT-47 समदिनांकित 13 सितम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 2319 दिनांक 08 अगस्त, 2017 और 3905 दिनांक 15 नवम्बर, 2017; 3795 दिनांक 06 नवम्बर, 2017 और 6237 (i) दिनांक 23 मार्च, 2018 के पहले पैरा में परन्तुक अन्तःस्थापित तथा अधिसूचना संख्या 4207, दिनांक 27 अगस्त, 2018 के पहले परन्तुक के पश्चात् परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

13 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 4563/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT-45—उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कमिश्नर, परिषद् की सिफारिशों पर,

(i) अधिसूचना संख्या 2319/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0 – विधि/2017–18, दिनांक 08 अगस्त, 2017 में; और

(ii) अधिसूचना संख्या 3905/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0 – विधि/2017–18, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में;

निम्नलिखित संशोधन करता हूँ, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परन्तु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना सं0 783/2018/11(120)/XXVII(8)/2018/CT-31, दिनाक 06 सितम्बर, 2018 के निबन्धनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसम्बर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।"

NOTIFICATION

September 13, 2018

No. 4563/CSTUK/GST-Vidhi Section/ 2018-19/CT-45--In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments-

(i) in notification No. 2319/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18, dated the 08th August, 2017 ; and

(ii) in notification No. 3905/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18, dated the 15th November, 2017 ; namely:-

2. In the said notification, in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of Government of Uttarakhand Finance section-8 No. 783/2018/11(120)/XXVII(8)/CT-31, dated 06th September, 2018 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December. 2018".

13 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 4566/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT-46–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, कमिश्नर, परिषद् की सिफारिशों पर,

(i) अधिसूचना संख्या 3795/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0 – विधि/2017–18, दिनांक 06 नवम्बर, 2017 में; और

(ii) अधिसूचना संख्या 6237(i)/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0 – विधि/2017–18, दिनांक 23 मार्च, 2018 में;

निम्नलिखित संशोधन करता हूँ, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परन्तु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना सं0 783/2018/11(120)/XXVII(8)/2018/CT-31, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 के निबन्धनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसम्बर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।"

NOTIFICATION

September 13, 2018

No. 4566/CSTUK/GST-Vidhi Section/ 2018-19/CT-46--In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments-

(i) in notification No. 3795/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18, dated the 06th November, 2017 ; and

(ii) in notification No. 6237(i)/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18, dated the 23th March, 2018 ; namely:-

2. In the said notification, in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of Government of Uttarakhand Finance section-8 No. 783/2018/11(120)/XXVII(8)/CT-31, dated 06th September, 2018 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December. 2018".

13 सितम्बर, 2018 ई0

संख्या 4567/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT-47–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 4207/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0 – विधि/2018–19/CT–35, दिनांक 27 अगस्त, 2018 के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 3043/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19, दिनांक 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करता हूँ; अर्थात्–

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परन्तु यह और भी कि ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना सं0 783/2018/11(120)/XXVII(8)/2018/CT-31, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 के निबन्धनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में, 31 दिसम्बर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।"

दिलीप जावलकर,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

September 13, 2018

No. 4567/CSTUK/GST-Vidhi Section/ 2018-19/CT-47--In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification No. 3043/ CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-34, dated the 10th August, 2018 as amended vide notification No. 4207/ CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-35, dated the 27th August, 2018 ; namely:-

2. In the said notification, in the first paragraph, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :--

"Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of Government of Uttarakhand Finance section-8 No. 783/2018/11(120)/XXVII(8)/CT-31, dated 06th September, 2018 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December. 2018".

DILIP JAWALKAR,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/565–भाग 1–क 2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 ई0 (आश्विन 28, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मसूरी

"सूचना"

02 जनवरी, 2018 ई0

पंत्राक 1791 / अ0अ0 / 2017–18–नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) (2) में वर्णित धाराओं / उपधाराओं के अन्तर्गत तैयार की गई "नगर पालिका परिषद्, मसूरी" की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2015 जिसका पांडुलेख नगर पालिका परिषद्, मसूरी की विशेष बैठक दिनांक 03–12–2014 में प्रस्ताव संख्या–353 के माध्यम से रखा गया एवं सर्व सम्मति से पारित हुआ। जिसके क्रम समाचार पत्र के माध्यम से आपत्तियाँ एवं सुझाव समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के भीतर आमंत्रित की जाती है।

धारा 301 के अन्तर्गत उपनियमों में प्राप्त आपत्ति / सुझाव के निस्तारण के पश्चात् पालिका बोर्ड से अनुमोदित / स्वीकृत किये जाने के उपरान्त नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2015 को नगर पालिका परिषद्, मसूरी क्षेत्रान्तर्गत के लिए गजट नोटिफिकेशन की तिथि से निम्नानुसार प्रभावी होगे।

नगर पालिका परिषद् , मसूरी की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि , 2015

1– यह उपविधि नगर पालिका परिषद् , मसूरी की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2015" कहलायेगी।

2– यह उपविधि नगर पालिका परिषद् , मसूरी के समस्त क्षेत्र में प्रभावी होगी।

3– यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4– परिभाषा –

"नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोडकर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस अपशिष्ट रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रो में पैदा होने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(i) "उपविधि" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश म्यु0 एक्ट 1916 के उपबन्धो के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(ii) नगर पालिका परिषद् , से तात्पर्य उत्तर प्रदेश म्यु0 एक्ट 1916 के खण्ड ii की धारा 3 के अधीन किसी नगर के लिए संगठित नगर पालिका परिषद् , से है।

(iii) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 57(1) के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(iv) "स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् , मसूरी में शासन द्वारा तैनात वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी / नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका परिषद् , के उस अधिकारी / कर्मचारी से है , जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(v) "निरीक्षण अधिकारी" से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी , वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी , नगर स्वास्थ्य अधिकारी , मुख्य सफाई निरीक्षक , सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है , जिन्हे समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो।

(vi) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 648, नई दिल्ली , मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर 2000, के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत **नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2000** बनाये गये से है।

(vii) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड , नगर पालिका परिषद् , अधिनियम 1916 से है।

(viii) जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ठ (biodegradable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवो द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है , जैसे :– बचा हुआ खाना , सब्जी–फल के छिलके , फूल–पौधो के पत्ते आदि ।

(ix) "जीव अनाशित अपशिष्ट" (non biodegradable waste) का तात्पर्य ऐसे कूडा–कचरा सामग्री से है , जो जीव नाशित कूडा–कचरा नही है , और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(x) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (recyclable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है , जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो जैसे :– प्लास्टिक , पॉलीथीन , कागज , धातु , रबड आदि।

(xi) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट" (biomedical waste) से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है , जिसका जनन मानवो व पशुओ के निदान , उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान , क्रिया कलापो या जैविको के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है।

(xii) "संग्रहण" (collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल , संग्रहण बिन्दुओ तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiii) "कचरा खाद बनाने" (composting) से एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है , जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैविय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xiv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (demolition and construction waste) से सन्निर्माण , पुनः निर्माण , मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोडियो और मलबे से उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(xv) "व्ययन" (disposal) से भूजल , सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvi) "अपशिष्टो के उत्पादक" (generator of waste) से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थानापन्न अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिभरण" (landfilling) से भूजल , सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उडने वाली धूल , हवा के साथ उडने वाला कूडा , बदबू आग के खतरे , पक्षियो का खतरा , नाशी जीव/कृतक , ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन , ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायो के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट , ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक" (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है , जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है , तथा जिसने इसमें धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया गया है।

(xix) "नगर पालिका प्राधिकारी" (municipal authority) से म्युनिसिपल कारपोरेशन , म्युनिसिपैलिटी , नगर पालिका , नगर निगम , नगर पंचायत , नगर पालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र , समिति (एन0 ए0 सी0) अथवा सुसंगत कानूनो के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है , जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी " (local authority) का तात्पर्य तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम , नगर पालिका , नगर पंचायत , जिला पंचायत , क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है ।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टो को छोडकर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टो को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रो में पैदा किया जाना वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचालक" (operator of a facility) से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है , जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण , पृथक्करण , भण्डारण , परिवहन , प्रसंस्करण , और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है , और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है , जो अपने–अपने क्षेत्रो में नगरीय ठोस अपशिष्टो के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रासंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादो में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) "पुनः चक्रण" (recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है , जो नये उत्पादो के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियो को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नही भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण" (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टो को कार्बनिक अकार्बनिक , पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टो को वर्गो में अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) "भण्डारण" (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टो के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द , किया जाना अभिप्रेत है , जिससे कूडा– करकट , रोग वाहको के आकर्षित करने , आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) "परिवहन" (transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की नई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है , ताकि दुर्गन्ध , कूडा करकट बिखेरने , रोग वाहको की पहुँच से रोका जा सके।

5– कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टो को नाली , सडक , गली , फुटपाथ , किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका परिषद् , द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्धारित नही किया गया है , न डालेगा और न डलवायेगा।

6– नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूडेदान रखेगा , जिनमे से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे से पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7– नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पालिका परिषद् , के द्वारा निर्धारित समय , प्रकिया के अनुसार नगर पालिका परिषद् , के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक (operator of facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूडा , जीव अनाशित थैले में रखकर नही डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरो जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिये जायेगे।

8– नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टो को उठाने के लिए नगर पालिका परिषद् , से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टो को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करेगा।

9– नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड–पौधो के कूडे को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा , जहां ऐसा सम्भव न हो नगर पालिका परिषद् , से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टो को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charge) भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टो को जलाया नही जायेगा।

10– नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टो को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक को देना होगा।

11– नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टो का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 1998 के अनुसार करेगा , बिना उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टो में नही मिलायेगा।

12– नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टो को न जलायेगा न ही जलवायेगा।

13– नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादन , पृथक्करण, संग्रहण ,भण्डारण , परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी का होगा।

14– निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठवाने की आवश्यकता समझी जाती है , जो मासिक यूजर चार्जेज के अनतर्गत निर्धारित नही है , को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा के प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दे दी जायेगी , यह धनराशि उसी दिन अगले कार्य दिवस में पालिका कोष में सुविधा कि प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15— अनुसूची में दी गई दरो में द्विवार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसकी गणना रू0 5 के पूर्णाक में की जायेगी।

16— उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में गरीबी रेखा से नीचे के घर/बी0पी0एल0 कार्ड धारक के अतिरिक्त किसी को भी छूट का प्राविधान नही है।

17— इस उपविधि के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् को देय धनराशि नगर पालिका परिषद् अधिनियम 1916 के उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकतें है।

अनुसूची–1 में सेवा शुल्क (user charges) बोर्ड बैठक प्रस्ताव–353, दिनांक 03–12–2014 द्वारा निर्धारित

	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि रू0 में				
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी0पी0एल0 कार्ड धारक)	निशुल्क				
2	कम आय वाले घर (10,000–00 रू0 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रू0 – 20–00				
3	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रू0 – 30–00				
4	सब्जी एवं फल विक्रेता	दुकान/फड पर 100–00 रू0				
5	मांस एंव मछली विक्रेता	न्यूनतम रू0 150–00 10 कि0ग्रा0 तक उससे अधिक पर रू0 02–00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त				
6	**Stand Alone Restaurants**		segregated	unsegregated	segregated	unsegregated
		service	Daliy Rate		Monthly Rate	
	1 to 30 seats	Daily pick up	10	15	300	450
	30 to 50 Seats	Daily pick up	20	30	600	900
	Above 50 Seats	Daily pick up	33	50	1000	1500
	Restaurant in Star Hotel रैस्टोरेन्ट					
		service	Daliy Rate		Monthly Rate	
	1 & 2 star per restorent	Daily pick up	33	50	1000	1500
	Banquet per function		250	500	250	500
	3 star	Daily pick up	50	75	1500	2250
	Banquet per function	Daily pick up	350	700	350	700
	4 star	Daily pick up	67	100	2000	3000
	Banquet per function	Daily pick up	500	1000	500	1000
	5 Star		100	150	3000	4500
	Banquet per function		1000	2000	1000	2000
7	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस	service	Daliy Rate		Monthly Rate	
	Non star Hotels		segregated	unsegregated	segregated	unsegregated
	Rooms between 1 to 20	Daily pick up	20	30	600	900
	Rooms between 20 to 40	Daily pick up	33	50	1000	1500
	Room above 40	Daily pick up	40	60	1200	1800
	Star Hotels					
	Rooms only					
	1 & 2 Star	Daily pick up	83	125	2500	3750
	3 Star	Daily pick up	117	175	3500	5250
	4 Star	Daily pick up	167	250	5000	7500
	5 Star	Daily pick up	230	345	6900	10350
8	धर्मशाला	रू0 02--00 प्रति कमरा प्रतिमाह				
9	बारात घर (चेरिटेबल)	रू0 100–00 प्रति उत्सव				
	बारात घर (नॉन चेरिटेबल)	रू0 300–00 प्रति उत्सव				
10	बेकरी	रू0 150–00				
11	कार्यालय	50 कर्मचारियो तक रू0 100–00 , 51 से 100–00 कर्मचारियो तक रू0 200–00				
		101–00 या उससे अधिक कर्मचारियो वाले कार्यालय रू0 500–00				
12	स्कूल/शिक्षण संस्थाये (आवासीय)	100 बैड तक के लिए रू0 1000–00 या उससे अधिक रू0 10–00 प्रति बैड अतिरिक्त				
13	स्कूल/शिक्षण संस्थाये (अनावासीय)	500 विद्यार्थियो तक रू0 500–00 उससे अधिक रू0 1000–00				
14	हॉस्पिटल/नर्सिग होम (बायोमेडीकल वेस्ट को छोडकर)	20 बैड तक रू0 250–00 , 21 बैड से 40 बैड तक रू0 500–00				
		100 बैड तक रू0 .... उससे अधिक रू0				
15	क्लीनिक पैथोलॉजी	क्लीनिक रू0 75–00 पैथोलॉजी रू0 250–00				
16	दुकान/चाय की दुकान	रू0 50–00				
17	कबाडी	छोटे कबाडी रू0 100–00 बडे कबाडी रू0 300–00				
18	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घनमीटर तक रू0 100–00 , 1.0 घनमीटर तक रू0 200–00 , 3.0 घनमीटर तक रू0 500 , 6.0 घनमीटर तक रू0 1000–00 , इससे अधिक प्रति घनमीटर रू0 100–00 अतिरिक्त				
19	सिंनेमा हॉल	रू0 300–00 प्रतिमाह				

अनुसूची – 2 अपशिष्टों की श्रेणी

जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट	पुनः चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका , बिना पका हुआ खाद्य अपशिष्ट जिसमें अण्डे के छिलके एवं हडिड्यां भी हो सकती है।	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलो के छिलके , फूल एवं घरेलू पौधो का कूडा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल , फलैशलाइट/कार बैटरी
घरेलू झाडू से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लीचे घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनिटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटमय को छोडकर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चो के डायपर	हर प्रकार का कांच/धातु/रबड/लकडी	रसायन तथा उनके खाली डिब्बे सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल , पुडिया , ट्रेटापैक , कैसेट , कम्प्यूटर , डिस्केट , इलैक्ट्रॉनिक पुर्जे खराब कपडे , फर्नीचर आदि।	इन्जेक्शन , सुई तथा सिरींज , खराब दवाईयां कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाइट बल्ब , ट्यूब लाइट , तथा छोटे फलोसेन्ट बल्ब , थर्मामीटर एवं पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट , तेल , गोद , थिनर तथा उनके डिब्बे , फोटोग्राफी का सामान

शास्ति

अधिनियम की धारा 299 (1) के अधीन शास्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद्, मसूरी एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर प्रथम दोष सिद्धि के लिए रू0 1000–00 अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने तक रू0– 25–00 अर्थदण्ड प्रतिदिन देय होगा।

आर0 के0 सिंह,
नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, मसूरी।

एम0 एल0 शाह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, मसूरी।

मनमोहन सिंह मल्ल,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, मसूरी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/565–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।